रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3077] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 28, 2016/पौष 7, 1938
No. 3077] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 28, 2016/PAUSA 7, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2016

का.आ. 4204(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1778(अ), तारीख 30 जून, 2015 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को, उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और, पूर्वोक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां 30 जून, 2015 को जनता के लिए उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया;

कथलौर-कुशालिया वन्यजीव अभयारण्य रावी नदी के तट पर स्थित है और गुरदासपुर से 30 किलोमीटर तथा दीनानगर-नरोटजयमल सिंह रोड पर दीनानगर से 15 किलोमीटर दूर है ;

और, पंजाब सरकार ने अपनी अधिसूचना सं. 34/4/2007/एफटी-5/6088, तारीख 22 जून, 2007 द्वारा जिला गुरदासपुर में कथलौर कुशालिया के सरकार सरंक्षित 758.40 हेक्टेयर क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है और कथलौर-कुशालिया वन्यजीव अभयारण्य के निर्देशांक उपाबंध I के रूप में संलग्न है ।

और, इस क्षेत्र की वनस्पति मुख्य वृक्ष प्रजातियां जैसे कि सरकण्डा, काही, शीशम, किकर, आंवला, तूत, आम, अर्जुन, जामुन, कांटेदार बांस और डेण्ड्रोकैलमस, आदि हैं ;

और, यह क्षेत्र कई जीवजंतुओं और पक्षियों के आश्रय के तौर पर जाना जाता है । मुख्य जीवजंतु प्रजातियां हॉग डियर, मुंजक, सांभर, चीतल, नीलगाय, बनैला सूअर, सियार, साल और पक्षी जैसे तीतर, तोता, बाज, चील और गिद्ध हैं ;

और, कथलौर-कुशालिया वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब राज्य में कथलौर-कुशालिया वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को कथलौर-कुशालिया वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन 193.0 हेक्टेयर के क्षेत्र में समाविष्ट कथलौर-कुशालिया वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर तक विस्तारित होगा ।

(2) कथलौर-कुशालिया वन्यजीव अभयारण्य के भौतिक रूप से दो भाग हैं, प्रत्येक भाग के अक्षांश और देशांतर निम्नानुसार हैं:

कथलौर:-पारिस्थितिक संवेदी जोन पूर्व-उत्तर (उपाबंध II मानचित्र के निर्देश बिन्दु सं. बी) की ओर 32º16'19.298" उत्तर अक्षांश और 75º27'55.507" पूर्व देशान्तर ; पश्चिम (उपाबंध II मानचित्र के निर्देश बिन्दु सं. जे) की ओर 32º15'48.025" उत्तर अक्षांश तथा 75º25'52.182" पूर्व देशान्तर ; उत्तर (उपाबंध II मानचित्र के निर्देश बिन्दु सं. ए) की ओर 32º16'32.87" उत्तर अक्षांश और 75º26'25.226" पूर्व देशान्तर और दक्षिण (उपाबंध II मानचित्र के निर्देश बिन्दु सं. डी) की ओर 32º14'46.068" उत्तर अक्षांश तथा 75º26'56.5" पूर्व देशान्तर से घिरा हुआ है ।

कुशालिया: - पारिस्थितिक संवेदी जोन पूर्व (उपाबंध II मानचित्र के निर्देश बिन्दु सं. ई) की ओर 32º13'12.247" उत्तर अक्षांश और 75º25'11.468" पूर्व देशान्तर ; पश्चिम-दक्षिण (उपाबंध II मानचित्र के निर्देश बिन्दु सं. एफ) की ओर 32º12'19.731" उत्तर अक्षांश तथा 75º24'32.523" पूर्व देशान्तर ; उत्तर (उपाबंध II मानचित्र के निर्देश बिन्दु सं. एच) की ओर 32º13'23.458" उत्तर अक्षांश और 75º24'41.964" पूर्व देशान्तर और दक्षिण पश्चिम (उपाबंध II मानचित्र के निर्देश बिन्दु सं. जी) की ओर 32º12'30.352" उत्तर अक्षांश तथा 75º24'0.07" पूर्व देशान्तर से घिरा हुआ है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र अक्षांश और देशान्तर के साथ उपाबंध II के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) कथलौर-कुशालिया वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले 14 ग्रामों की सूची उनके अक्षांश और देशांतर सहित प्रमुख बिन्दुओं के साथ उपाबंध III के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आचंलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित सभी संबद्ध राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन;

(iii) नगर विकास;

(iv) पर्यटन;

(v) नगरपालिका;

(vi) राजस्व;

(vii) कृषि;

(viii) पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(ix) सिंचाई; और

(x) लोक निर्माण विभाग।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में और आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और अधिक प्रभावी और पारिस्थितिक अनुकूल क्रियाकलाप कारक इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करते हुए विनियमित करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं. 9, 17, 24, 33, और 38 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संन्निमार्ण ;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) वर्षा जल संचय; और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक स्टोर और स्थानीय सुविधाएं भी हैं, :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित रूप में जाएगा ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, पंजाब सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, पंजाब सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथासंशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंधित पर्यटकों के अस्थायी निवास के लिए आवासन के सिवाय पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसोर्ट के नए संनिर्माण कथलौर-कुशालिया वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होंगे ;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएंगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों के अनुसार पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, 2000 के अंतर्गत तैयार करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण सामान्य मानकों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट —** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**— पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि. 343 (अ) तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: —** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि. 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: —** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा. का. नि. 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **यानीय यातायात—** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(14) औद्योगिक इकाइयां —

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नहीं दी जाएगी |

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु या मृदा प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी |

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :	
1	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध होंगी । तथापि, वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना विद्यमान विनियमों के अनुसार अनुज्ञात होंगे। (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2	आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
3	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
4	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
5	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6	नए बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
7	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
8	कंपनियों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

ख. विनियमित क्रियाकलाप :		
9	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परन्तु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरूप होगा । वाणिज्यिक पारिस्थितिक पर्यटन के साथ "वन्यजीव निवास में गैर वानिकी क्रियाकलापों के लिए दिशा-निर्देशों" के अनुसार जारी एफ. सं. 610/2011 वन्यजीव दिनांक 15-03.2011 द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय (वन्यजीव प्रभाग), नई दिल्ली और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देशों (यदि लागू हो) के साथ विनियमित किया जाएगा ।
10	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक इनमें जो भी निकट है, के भीतर किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा: परंतु स्थानीय व्यक्तियों को अपने आवासीय उपयोग, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के लिए अपनी भूमि पर संनिर्माण करने की अनुमति होगी । (ख) परन्तु, प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप नियम या विनियम, यदि कोई लागू हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अनुज्ञात होंगे । (ग) परन्तु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा एक किलोमीटर से ज्यादा है तो वहाँ, एक किलोमीटर के पश्चात् और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक स्थानीय व्यक्तियों की सद्भावी आवश्यकता के लिए संनिर्माण क्रियाकलाप तथा संनिर्माण और नागरिक सुविधाओं की वृद्धि आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे ।
11	ध्वनि प्रदूषण ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों के अनुसार पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, 2000 अंतर्गत तैयार करेगा ।
12	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्ही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
13	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

14	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
15	विद्युत और दूरसंचार टावरों और बिछाई गई केबलों और अन्य बुनियादी ढाँचों का परिनिर्माण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना ।
16	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
17	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण ।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
18	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
19	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
24	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे ।
25	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26	सुरक्षा बलों के कैंप ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग तब तक जारी रह सकेंगे जब तक कि उन्हें तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रतिषिद्ध न किया जाए ।

28	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के लिए, पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर, जैसे तंबू, लकड़ी के घर आदि ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग ।	विनियमित और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी।
31	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप :	
32	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
33	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
34	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
35	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
36	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
37	वानस्पतिक बाड ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
38	कुटीर उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
39	पर्यावरणीय जागरूकता ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
40	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
41	सामुदायिक प्रकृति भंडार।	सक्रिय रूप से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देशों को बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), पंजाब सरकार - अध्यक्ष ;

(ii) ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग का प्रतिनिधि, पंजाब सरकार – सदस्य ;

(iii) प्रादेशिक कार्यालय, पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड – सदस्य ;

(iv) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का तीन वर्ष की अवधि के लिए पंजाब राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - सदस्य;

(v) पंजाब सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए एक विशेषज्ञ – सदस्य;

(vi) ग्रामीण विकास और आवास विभाग, पंजाब सरकार का प्रतिनिधि - सदस्य;

(vii) पंजाब राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य - सदस्य;

(viii) कृषि विभाग, पंजाब सरकार का प्रतिनिधि - सदस्य;

(ix) जिला कलेक्टर, गुरदासपुर का प्रतिनिधि - सदस्य;

(x) प्रभागीय वन अधिकारी (लोकप्राधिकारी का प्रभारी) – सदस्य-सचिव ।

6. निर्देश निबंधन

(1) समिति का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

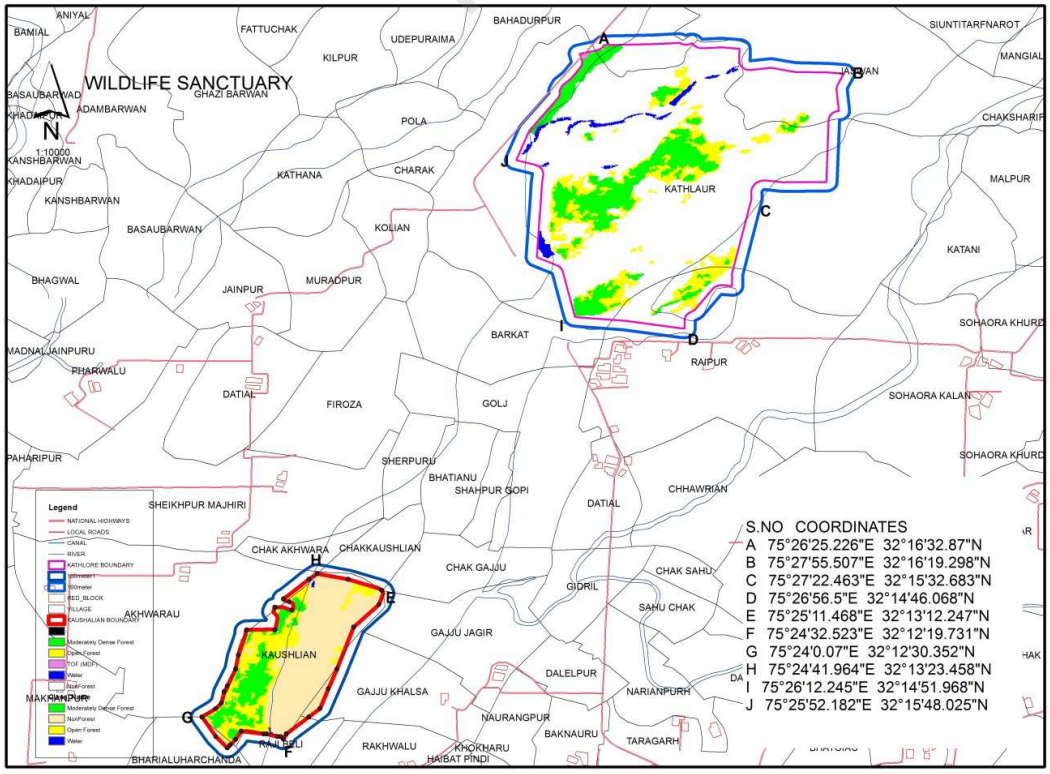
उपाबंध I

कथलौर - कुशालिया वन्यजीव अभयारण्य के निर्देशांक

क्र. सं.	मानचित्र बिन्दु	अक्षांश			देशांतर		
		डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
1	ए	75	26	18.330	32	16	26.936
2	बी	75	27	51.520	32	16	20.262
3	सी	75	26	54.013	32	14	50.154
4	डी	75	25	7.136	32	13	17.062
5	ई	75	24	11.855	32	12	20.567
6	एफ	75	24	2.538	32	12	30.690
7	जी	75	24	43.848	32	13	21.922
8	एच	75	26	15.508	32	14	53.236

उपाबंध- II

कथलौर - कुशालिया वन्यजीव अभयारण्य, पंजाब के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का इसके अधिकतम और विस्तार के अक्षांश और देशांतर सहित मानचित्र



उपाबंध-III

कथलौर - कुशालिया वन्यजीव अभयारण्य, पंजाब की बाहरी सीमा के पारिस्थितिक संवेदी जोन के मुख्य बिंदुओं को दर्शाने वाले निर्देशांक

क्रम सं.	नाम	अक्षांश			देशांतर		
		डिग्री	मिनट	सेकंड	डिग्री	मिनट	सेकंड
1.	चकाख्वारा	32	13	15.95	75	24	13.75
2.	चककौशलिया	32	13	09.84	75	24	45.22
3.	चकगज्जू	32	13	15.92	75	25	37.89
4.	गज्जूजागीर	32	12	50.19	75	25	32.61
5.	गज्जूखालसा	32	12	25.49	75	24	50.61
6.	राजीबेली	32	12	21.20	75	23	31.69
7.	भरियलउहानचंदा	32	12	51.31	75	23	31.62
8.	कौशलिया	32	12	40.58	75	24	08.65
9.	अखवारा	32	13	21.02	75	23	31.70
10.	बरकत	32	14	13.33	75	26	40.84
11.	बहादुरपुर	32	15	50.96	75	26	19.65
12.	जसवान	32	15	47.39	75	27	59.43
13.	कथलौर	32	14	34.06	75	26	27.66
14.	रायपुर	32	14	19.29	75	27	33.40

IndiaCode

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति — की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए कार्यवाही किए गए मामलों का सारांश ।

5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।

6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

[फा. सं. 25/35/2014-ईएसजेड/आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2016

S.O. 4204(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii), *vide* notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1778 (E), dated the 30th June, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the aforesaid notification were made available to the public on the 30th June, 2015.

AND WHEREAS, objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

AND WHEREAS, the Kathlaur-Kushalia Wildlife Sanctuary falls on the river bed of Ravi River and located about 30 kilometres from Gurdaspur and 15 kilometres from Dinanagar on Dinanagar-Narot Jaimal Singh Road;

AND WHEREAS, the Government of Punjab, *vide* its notification No.34/4/2007/Ft-5/6088, dated the 22nd June, 2007 declared 758.40 hectares area of Government Protected Forests of Kathlaur-Kushalia as Wildlife Sanctuary in the district Gurdaspur and the co-ordinates of Kathlaur-Kushalia Wildlife Sanctuary is appended as **Annexure-I**.

AND WHEREAS, the vegetation of this area comprises of main tree species like Sarkanda, Kahi, Shisham, Kikkar, Amla, Toot, Mango, Arjun, Jamun, Bambusabambos and Dendrocalamus etc.;

AND WHEREAS, the area is known to support a variety of animals and birds and the main faunal species are Hog Deer, Barking Deer, Sambar, Chital, Nilgai, Wild Boar, Python, Pangolin and birds like Partridges, Parrots, Hawk eagle and vultures;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of the Kathlaur-Kushalia Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area upto 100 metres all around the boundary of the Kathlaur - Kushalia Wildlife Sanctuary in the State of Punjab as the Kathlaur-Kushalia Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone(hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:—

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-**(1)The extent of Eco-sensitive Zone is an area of 100 metres all around the boundary of the Kathlaur-Kushalia Wildlife Sanctuary comprising an area of 193.0 hectares approximately.

(2) The Kathlaur – Kushalia Wildlife Sanctuary has physically two parts, the latitude and longitude for each part is as:

Kathlaur.- The Eco-sensitive Zone is bounded by 32º16’19.298"N latitude and 75º27’55.507"E longitude towards East-North (Reference point No. B of Annexure II map); 32º15’48.025"N latitude and 75º25’52.182"E longitude towards west (Reference point No. J of Annexure II map); 32º16’32.87"N latitude and 75º26’25.226"E longitude towards north (Reference point No. A of Annexure II map) and 32º14’46.068"N latitude and 75º26’56.5"E longitude towards south (Reference point No. D of Annexure II map).

Kushalia.- The Eco-sensitive Zone is bounded by 32º13’12.247"N latitude and 75º25’11.468"E longitude towards East (Reference point No. E of Annexure II map); 32º12’19.731"N latitude and 75º24’32.523"E longitude towards west-south (Reference point No. F of Annexure II map); 32º13’23.458"N latitude and 75º24’41.964"E longitude towards north (Reference point No. H of Annexure II map) and 32º12’30.352"N latitude and 75º24’0.07"E longitude towards south-west (Reference point No. G of Annexure II map).

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitudes is appended as **Annexure II**.

(4) The list of 14 villages falling within the Kathlaur-Kushalia Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone along with their longitudes and latitudes at prominent points is appended as **Annexure III.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The State Government shall prepare the Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The State Government shall prepare the Zonal Master Plan in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(viii) Punjab State Pollution Control Board;

(ix) Irrigation; and

(x) Public Work Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and

moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development and livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use. -** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 9, 17, 24, 33, and 38 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities,

(ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads,

(iii) Small scale industries not causing pollution,

(iv) Rainwater harvesting, and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas as per buffer zone management plan of the Melghat Tiger Reserve.

(2) **Natural Springs**.- The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the catchment management plan shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit or and restrict development activities within the catchment areas.

(3) **Eco-tourism.-**(a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Eco-tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Punjab in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Punjab.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new Eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-

IndiaCode

development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Kathlaur-Kushlia Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified, preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Punjab State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Punjab State Pollution Control Board shall implement standards and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rule made thereunder. If required, standards may be made more stringent for protection of environment.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made therein.

(9) **Disposal of Solid wastes. -** (i) the solid waste in Eco-sensitive Zone shall be disposed of in accordance with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016, as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into bio-degradable and non-bio-degradable components;

(iii) the bio-degradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Disposal of bio-medical waste.-** The bio-medical waste in the Eco-sensitive Zone shall be disposed of in accordance with the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(11) **Plastic Waste Management:-** The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 340 (E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management:-** The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of

Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 317 (E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Act and the rules and regulations made thereunder.

(14) **Industrial Units-** (a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.

(b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
	A. Prohibited Activities:	
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new and expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of existing polluting industries shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
4.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per law.
5.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per law.
6.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per law.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per law.

8.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
	B. Regulated Activities:	
9.	Establishment of hotels and resorts	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or up to the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities: Provided that, beyond one kilometre or up to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Eco-Tourism Master Plan. Commercial eco-tourism establishments is to be regulated strictly in accordance with "The guidelines for taking non forestry activities in Wild life habitats" issued vide F.No.610/2011 WL dated 15-03.2011 by the Ministry of Environment and Forest (WL Division), New Delhi and National Tiger Conservation Authority guidelines (if applicable).
10.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of protected area or up to the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer. Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: (b) Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per the applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre upto the extent of Eco-Sensitive Zone, construction for *bone fide* local needs shall be allowed and other construction activities and construction and augmentation of civic amenities shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Noise pollution	The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest land or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
13.	Drastic change of agriculture system.	Regulated under applicable laws.
14.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
16.	Infrastructure including civic amenities	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
19.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
21.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
22.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
23.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
24.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.

25.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
26.	Security Forces Camp.	Regulated under applicable laws.
27.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that new wood based industry may be set up in the Eco-sensitive using only imported wood stock.
28.	Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses and other cottages for eco-friendly tourism activities.	Regulated under applicable laws.
29.	Use of plastic bags	Regulated under applicable laws.
30.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
31.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws
	C. **Promoted Activities:**	
32.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming and fisheries.	Permitted under applicable laws.
33.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy sources.	Permitted under applicable laws.
37.	Vegetative fencing.	Permitted under applicable laws.
38.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.
40.	Skill Development	Shall be actively promoted.
41.	Community Nature Reserves.	Shall be actively promoted in conformity with MOEF&CC and National Tiger Conservation Authority Guidelines.

IndiaCode

5. **Monitoring Committee and terms of Reference.-** (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

(i) The Chief Conservator of Forests (Wildlife), Government of Punjab – Chairman;

(ii) Representative Department of Rural Development and Panchayat, Government of Punjab- Member;

(iii) Regional Office, Punjab State Pollution Control Board -Member;

(iv) One representative of Non-Governmental Organisations' working in the field of environment to be nominated by the Government of Punjab for a period of three years in each case – Member;

(v) One expert in the area of the ecology to be nominated by the Government of Punjab for a term of three years in each case - Member;

(vi) Representative Department of Rural Development and Housing Department, Government of Punjab – Member;

(vii) Member of the Punjab State Biodiversity Board –Member;

(viii) Representative of Agricultural, Government of Punjab –Member;

(ix) Representative of District Collector of Gurdaspur - Member;

(x) Divisional Forest Officer (In-charge of Protected Area) – Member-Secretary.

6. Terms of Reference:

(1) The tenure of the Committee shall be for a period of three years from the date of issue of the notification.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India, Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Chief Conservator of Forests (Wildlife) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State per proforma appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

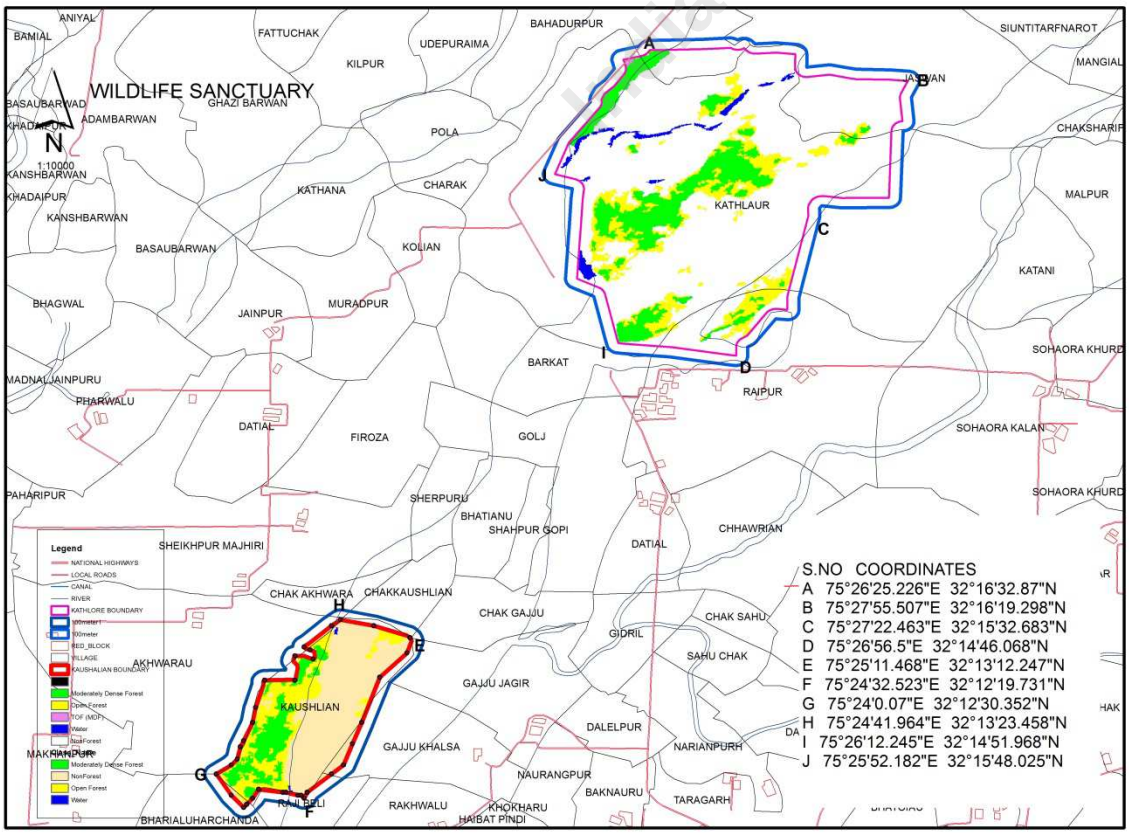
Annexure-I

Co-ordinates of Kathlaur - Kushalia Wildlife Sanctuary

Sr. No.	Points on map	Latitude			Longitude		
		Degree	Minute	Second	Degree	Minutes	Second
1	A	75	26	18.330	32	16	26.936
2	B	75	27	51.520	32	16	20.262
3	D	75	26	54.013	32	14	50.154
4	E	75	25	7.136	32	13	17.062
5	F	75	24	11.855	32	12	20.567
6	G	75	24	2.538	32	12	30.690
7	H	75	24	43.848	32	13	21.922
8	I	75	26	15.508	32	14	53.236

Annexure II

Map of Eco-sensitive Zone boundary of Kathlaur-Kushalia Wildlife Sanctuary, Punjab together with its latitudes and longitude of extremes and extent.



Annexure III

The co-ordinates showing prominent points of the outer boundary of Eco-sensitive Zone of Kathlaur-Kushalia Wildlife Sanctuary, Punjab

Sl.No.	Name	Latitude			Longitude		
		Degree	Minute	Second	Degree	Minute	Second
1.	Chak Akhwara	32	13	15.95	75	24	13.75
2.	ChakKaushlian	32	13	09.84	75	24	45.22
3.	Chak Gajju	32	13	15.92	75	25	37.89
4.	Gajju Jagir	32	12	50.19	75	25	32.61
5.	Gajju Khalsa	32	12	25.49	75	24	50.61
6	Raji Beli	32	12	21.20	75	23	31.69
7.	Bharial Uhanchanda	32	12	51.31	75	23	31.62
8.	Kaushlian	32	12	40.58	75	24	08.65
9.	Akhwara	32	13	21.02	75	23	31.70
10.	Barkat	32	14	13.33	75	26	40.84
11.	Bahadurpur	32	15	50.96	75	26	19.65
12.	Jaswan	32	15	47.39	75	27	59.43
13.	Kathlour	32	14	34.06	75	26	27.66
14.	Raipur	32	14	19.29	75	27	33.40

IndiaCode

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attached minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.

 Details may be attached as Annexure.

5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment notification, 2006.

 Details may be attached as separate Annexure.

6. Summary of case scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment notification, 2006.

 Details may be attached as separate Annexure.

7. Summary of complaints lodged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).

8. Any other matter of importance.

[F. No. 25/35/2014-ESZ/RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

Nishok Kumar Paria
Digitally signed by Nishok Kumar Paria
Date: 2016.12.29 18:45:57 +05'30'

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.